'पर्दाफाश' संकल्प की महत्वपूर्ण विशेषताएँ

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग, एक मनोनीत अभिकरण के रूप में (जिसे आगे आयोग कहा गया है), केन्द्रीय सरकार अथवा किसी भी केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी भी निगम, सरकारी कंपनी, समिति, अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने अथवा कार्यालय का दुरूपयोग किए जाने के किसी भी आरोप पर लिखित शिकायतें अथवा सूचनाएं प्राप्त करेगा ।

- आयोग, शिकायतकर्ता की पहचान का पता करेगा; यदि शिकायत अनाम है, यह इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

- शिकायतकर्ता की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी जब तक कि शिकायतकर्ता स्वयं शिकायत के विवरणों को सार्वजनिक नहीं करता है अथवा अपनी पहचान किसी अन्य कार्यालय अथवा प्राधिकरण को प्रकट नहीं करता है ।

- आगे रिपोर्ट/अन्वेषण के लिए कहते समय, आयोग मुखबिर की पहचान नहीं बताएगा तथा संबंधित संगठन के अध्यक्ष से मुखबिर की पहचान गुप्त बनाए रखने का अनुरोध भी करेगा, यदि किसी भी कारण से पहचान ज्ञात हो जाती है ।

- आयोग को यह प्राधिकार होगा कि यह प्राप्त शिकायतों पर अन्वेषण पूरा करवाने हेतु सभी प्रकार की सहायता के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अथवा पुलिस प्राधिकारियों, जैसा भी आवश्यक समझा जाए, को बुला सकता है ।

- यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर किसी कार्रवाई से दुखी है कि उसे इस तथ्य के कारण सताया जा रहा है कि उसने शिकायत की है अथवा सूचना दी है तो वह मामले में सहायता प्राप्त करने के लिए आयोग के समक्ष आवेदन दे सकता है जिसमें आयोग व्यक्ति अथवा संबंधित प्राधिकारी को उचित निदेश दे सकता है ।

- यदि आयोग की राय यह है कि शिकायतकर्ता अथवा गवाह को सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है तो यह संबंधित सरकारी प्राधिकारियों को उचित निदेश जारी करेगा ।

- यदि आयोग को प्रयोजनमूलक अथवा परेशान करने वाली शिकायत प्राप्त होती है तो यह उनमें उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

- आयोग ऐसी किसी भी सूचना पर कार्रवाई नहीं करेगा अथवा जाँच नहीं करवाएगा जिसके संबंध में लोक सेवक जाँच अधिनियम, 1850 के अन्तर्गत एक औपचारिक तथा सार्वजनिक जाँच का आदेश दिया जा चुका है अथवा ऐसा मामला जिसे जाँच अधिनियम आयोग, 1952 के अन्तर्गत जाँच हेतु भेजा गया है ।

- मुखबिर की पहचान गुप्त रखे जाने के आयोग के निर्देशों के बावजूद यदि मुखबिर की पहचान प्रकट की जाती है तो यह पहचान प्रकट करने वाले व्यक्ति अथवा एजेंसी के विरूद्ध वर्तमान नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई आरंभ करने का अधिकार आयोग को प्राप्त है ।